

समाहरणालय, अररिया

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 07(आवंटन)/कृ0 दिनांक 27.04.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए), विपत्र कोड-N2245021140001, मांग संख्या-39, विषय शीर्ष-31 06 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 10,50,67000.00 (दस करोड़ पचास लाख सड़सठ हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित किया जाता है:-

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	गेहूँ एवं मक्का फसल के सिंचित क्षेत्र में कुल प्रभावित रकवा	उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अररिया	4929	13840640.00	13840640.00
2	रानीगंज	6714	18852923.00	18852923.00
3	भरगामा	3327	9342222.00	9342222.00
4	नरपतगंज	4517	12683744.00	12683744.00
5	फारबिसगंज	5263	14778513.00	14778513.00
6	जोकीहाट	4375	12285008.00	12285008.00
7	पलासी	3464	9726918.00	9726918.00
8	सिकटी	2464	6918916.00	6918916.00
9	कुर्साकाँटा	2364	6638116.00	6638116.00
कुल योग:-		37417	105067000.00	105067000.00

- उपावंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होंगे।
- उपावंटित राशि का व्यय कृषि विभागीय पत्रांक 1993/कृ0 दिनांक 26.04.2015 एवं पत्रांक 1998/कृ0 दिनांक 28.04.2015 में उल्लेखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- सभी किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान आर0टी0जी0एस0/लेखा प्रदायी चेक के द्वारा की जाए। नगद भुगतान वर्जित किया जाए। सभी कृषकों का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान मुखिया या पंचायत सेवक/जनसेवक/राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में लिया जाए, जिनका दायित्व किसानों की पहचान करने का होगा।
- पूरे कृषि इनपुट अनुदान वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी भी करायी जाए एवं भुगतान में बिचौलियों की भूमिका को नगण्य करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाए। इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर बेहिचक कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाए जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- उपावंटित राशि की निकासी यथा सम्भव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाए। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गयी राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र इस कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 10.03.2016 तक भेज दिया जाए।

7. पूर्व में उपवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो तो दिनांक 10.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाए।
8. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आँकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. यह उपावंटनादेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0(2)] दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित किया जाए।
10. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 10.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।
11. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपावंटित की गयी राशि, संबंधित कोषागार तथा डी0डी0ओ0 कोड अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए ताकि सी0टी0एम0आई0एस0 माध्यम से आवंटन को ऑन लाइन प्रविष्टि किया जा सके।

H0/-

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक / 98 /आ0प्र0, अररिया, दिनांक 30 वीं अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि: सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: वरीय कोषागार पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निर्देश है कि अपने पर्यवेक्षण में वितरण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

30/4/15
जिला पदाधिकारी,
अररिया